




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
Office of Commissioner  
Cum  
Director General School Education



Off: 20 Bays Building, 1st Floor, Sector 27-B, Chandigarh - 150017 (India) Tel: 91(0172) 2701333 Fax: 91(0172) 2701347  
दूरतारक: 91 (0172) 2701333 फोन: 91 (0172) 2701333 फैक्स: 91 (0172) 2701347  
e-mail: [odusecondary@hry.nic.in](mailto:odusecondary@hry.nic.in)

आदेश क्रमांक 11/3-2011-PS(2)

दिनांक, पंचकुला 14-09-2011

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए Nalanda Public School, Sampla (Rohtak) को कक्षा 1 से 10वीं तक केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर बढ़ाने हेतु सम्बद्धता के लिए अलग से आवेदन किया जाएगा। विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक दिनांक 11/3-2011 PS(2) दिनांक 29.6.2011 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं. 2090/RTE/10<sup>th</sup>/BOSE/2011 है।

51-  
अश्वनी कुमार  
अतिरिक्त निदेशक  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,  
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम 11/3-2011 PS(2)

दिनांक, पंचकुला :- 14/9/2011

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रबन्धक समिति, Aggarwal Education Society, Sampla, Distt. Rohtak
- 2- सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
- 3- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, Rohtak
- 5- मुख्यध्यापक, Nalanda Public School, Sampla (Rohtak)

अधीक्षक पीएस  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,  
हरियाणा, पंचकुला।